

184

बिहार सरकार
कृषि विभाग

अधिसूचना प्रारूप

अधिसूचना संख्या 5/F-18/89-617

/कृ० पटना दिनांक

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 38 के उपखण्ड 5 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के द्वारा कृषि विभाग की अधिसूचना सं० 268 उ० को०/कृ० दिनांक 30.10.2009 के द्वारा राज्य उर्वरक समिति का गठन किया गया। राज्य उर्वरक समिति की बैठक दिनांक 11.03.2010 को आयोजित की गयी। राज्य उर्वरक समिति की बैठक में उर्वरक मिश्रण के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया :-

1. कृषि विभाग की अधिसूचना सं० 9936 दिनांक 27.10.90 के द्वारा बिहार राज्य के लिए अधिसूचित पाँच एन० पी० के० मिश्रण ग्रेड यथा 15:15:7.5, 18:18:6, 18:18:10, 12:32:0, 12:12:12 में से दो ग्रेड यथा 18:18:10 एवं 12:32:0 को समाप्त किया जाय एवं 15:15:7.5, 18:18:6, 12:12:12 को ही जारी रखा जाय।
2. एन० पी० के० मिश्रण विनिर्माण को सीमित रखने के उद्देश्य से निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 4252 दिनांक 30.06.1995 के संबंध में निर्णय लिया गया कि जिन प्रतिष्ठानों को एन० पी० के० उर्वरक दानेदार मिश्रण का विनिर्माण एवं विपणन की स्वीकृति दी जा चुकी है उनके अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिष्ठान को विपणन/विनिर्माण हेतु भविष्य में स्वीकृति नहीं दी जाय।
3. सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक मिश्रण के लिए कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 4240 दिनांक 11.02.1999 के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया गया :-
 - (i) सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक मिश्रण के composition में Zn(organic) एवं Zn(chelated) के स्थान पर Zn(Inorganic) or Zn(chelated) अंकित किया जाय।
 - (ii) छोटानागपुर का नाम अधिसूचना से हटा दिया जाय।
 - (iii) North Bihar non Recent Alluvium के स्थान पर North Bihar non-Calcareous recent alluvium प्रतिस्थापित किया जाय।
4. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 14(1) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो किसी प्रकार के उर्वरक मिश्रण अथवा विशेष उर्वरक मिश्रण के विनिर्माण के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है, को इसके लिए ऐसी योग्यता होनी चाहिए अथवा ऐसी योग्यता रखनेवाले किसी व्यक्ति को नियोजित करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके आलोक में निर्णय लिया गया कि किसी भी प्रकार का उर्वरक अथवा विशेष उर्वरक मिश्रण का विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि में स्नातक अथवा स्नातक विज्ञान (रसायन प्रतिष्ठान) की योग्यता हो अथवा ऐसी योग्यता धारित करनेवाले व्यक्ति को नियोजित करना होगा।
5. राज्य सरकार ने राज्य उर्वरक समिति के निर्णय पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया है :-
 - (i) राज्य सरकार उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 13 के उपखंड 2 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के लिए कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 9936 दिनांक 27.10.90 के द्वारा अधिसूचित एन० पी० के० के पाँच ग्रेडों यथा 15:15:7.5, 18:18:6,

18:18:10, 12:32:0 एवं 12:12:12 में से दो ग्रेडों यथा 18:18:6 एवं 12:32:0 को समाप्त करती है तथा तीन ग्रेडों यथा 15:15:7.5, 18:18:6, 12:12:12 को ही आगे जारी रखने का निर्णय लेती है। इन तीन ग्रेडों का विनिर्माण निम्न विनिर्देशों के अनुरूप ही किया जा सकेगा :-

Sl. No.	Grade of N:P:K Mixture	Specifications	Percentage
1.	12:12:12 Mixture of N:P:K Fertilizer (Inorganic)	(i) Nitrogen per cent by weight, minimum	12.0
		(ii) Phosphate (as P ₂ O ₅) per cent by weight, minimum	12.0
		(iii) Neutral Ammonium citrate soluble Phosphate (as P ₂ O ₅) per cent by weight, minimum	12.0
		(iv) Water soluble Phosphate (P ₂ O ₅) per cent by weight, minimum	06.0
		(v) Water soluble Potash (as K ₂ O) per cent by weight, minimum	12.0
		(vi) Particle size – 90 per cent material shall pass through 4.5 mm IS sieve and be retained on 1 mm IS sieve. Not more than 10 per cent shall be below 1 mm IS sieve	
2.	18:18:06 Mixture of N:P:K Fertilizer (Inorganic)	(i) Nitrogen per cent by weight, minimum	18.0
		(ii) Phosphate (as P ₂ O ₅) per cent by weight, minimum	18.0
		(iii) Neutral Ammonium citrate soluble Phosphate (as P ₂ O ₅) per cent by weight, minimum	18.0
		(iv) Water soluble Phosphate (as P ₂ O ₅) per cent by weight, minimum	09.0
		(v) Water soluble Potash (as K ₂ O) per cent by weight, minimum	06.0
		(vi) Particle size – 90 per cent material shall pass through 4.5 mm IS sieve and be retained on 1mm IS sieve. Not more than 10 per cent shall be below 1 mm IS sieve	
3.	15:15:7.5 Mixture of N:P:K Fertilizer (Inorganic)	(i) Nitrogen per cent by weight, minimum	15.0
		(ii) Phosphate (as P ₂ O ₅) per cent by weight, minimum	15.0
		(iii) Neutral Ammonium citrate soluble Phosphate (as P ₂ O ₅) per cent by weight, minimum	15.0
		(iv) Water soluble Phosphate (as P ₂ O ₅) per cent by weight, minimum	7.5
		(v) Water soluble Potash (as K ₂ O) per cent by weight, minimum	7.5
		(vi) Particle size – 90 per cent material shall pass through 4.5 mm IS sieve and be retained on 1mm IS sieve. Not more than 10 per cent shall be below 1 mm IS sieve	

(ii) इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि को जिन प्रतिष्ठानों को कंडिका 5(i) में अनुसंधित तीन ग्रेडों में से जिस ग्रेड के विनिर्माण एवं विपणन हेतु स्वीकृति दी गई है उसके अतिरिक्त किसी भी प्रतिष्ठान को भविष्य में बिहार ग्रेड उर्वरक मिश्रण के उत्पादन, भंडारण अथवा विपणन हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि किसानों को मिलनेवाले खाद की गुणवत्ता में सुधार हो सके। वर्तमान में कार्यरत प्रतिष्ठानों को भी स्वीकृत उर्वरक मिश्रण ग्रेड की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।

(iii) उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 13 के खंड 2 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण के संदर्भ में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1240

1182

दिनांक 11.02.1994 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

Sl. No.	Type of Soil	Type of Application	Specifications (%)
1	Calcareous Soil & South Bihar Plain	Foliar	(i) Fe (Chelated) - 3 (ii) Mn - 0.5 (iii) Zn Inorganic - 8 or Zn Chelated - 5 (iv) Cu - 0.2 (v) Mo - 0.01 (vi) B - 1.5 (vii) Solubility in water Minimum - 90% (viii) pH not less than - 3.5
2	Calcareous Soil & South Bihar Plain	Soil	(i) Fe (Chelated) - 4 (ii) Mn - 0.5 (iii) Zn Inorganic - 10 or Zn Chelated - 5 (iv) Cu - 0.2 (v) Mo - 0.02 (vi) B - 2.0
3	North Bihar non Calcareous Recent alluvium Tarai Sub Himalaya	Foliar	(i) Fe (Chelated) - 0.5 (ii) Mn - 0.2 (iii) Zn Inorganic - 5 or Zn Chelated - 3 (iv) Cu - 0.5 (v) Mo - 0.02 (vi) B - 0.5 (vii) Solubility in water Minimum - 90% (viii) pH not less than - 3.5
4	North Bihar non Calcareous Recent alluvium Tarai Sub Himalaya	Soil	(i) Fe (Chelated) - 1.0 (ii) Mn - 0.2 (iii) Zn Inorganic - 8 or Zn Chelated - 4 (iv) Cu - 1.0 (v) Mo - 0.03 (vi) B - 1.0
5	Tal land & Acidic soil	Foliar	(i) Zn Inorganic - 2 or Zn Chelated - 1 (ii) Mo - 0.05 (iii) B - 1.5 (iv) Solubility in water Minimum - 90% (v) pH not less than - 3.5
6	Tal land & Acidic soil	Soil	(i) Zn Inorganic - 4 or Zn Chelated - 2 (ii) Mo - 0.05 (iii) B - 2.0

Foliar spray - 0.5% to 1% - 2-3 times - For Wheat, Maize, Pulses, Oilseeds and Vegetables
In case of Sugarcane Mn will be Doubled

Soil - 20-30 kg/ha - Do

6. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 14(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार उर्वरक मिश्रण अथवा उर्वरक विशेष मिश्रण विनिर्माता के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त कृषि स्नातक अथवा स्नातक विज्ञान (रसायन प्रतिष्ठान) की योग्यता निर्धारित करती है। कोइ भी व्यक्ति, जो उर्वरक मिश्रण अथवा विशेष उर्वरक मिश्रण का विनिर्माण करना चाहता है, को उपरोक्त निर्धारित योग्यता रखनी होगी अथवा ऐसी योग्यता धारित करनेवाले किसी व्यक्ति को नियोजित करना होगा।
7. इस हद तक विभागीय अधिसूचना सं० 9933 दिनांक 27.10.90, अधिसूचना सं० 4252 दिनांक 30.06.1995 एवं 1240 दिनांक 11.02.1994 को संशोधित समझा जाय।
8. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 617

दिनांक : 4.5.2010

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजाबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 617

दिनांक : 4.5.2010

प्रतिलिपि : सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 617

दिनांक : 4.5.2010

प्रतिलिपि : सभी उर्वरक उत्पादक/आयातक/आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठान को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 617

दिनांक : 4.5.2010

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 617

दिनांक : 4.5.2010

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीया मंत्री, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

5/2/10